कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन बजट आकलनों, 2011 के अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के निर्धारणार्थ प्रस्तुत किया गया है तथा सरकार की प्राप्तियों व संवितरणों की प्रबल प्रवृतियों व संरचनात्मक रूप रेखा का विश्लेषण करता है।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण एवं जनगणना जैसे विभिन्न स्त्रोतों से एकत्रित अतिरिक्त आंकड़ों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा तीन अध्यायों में उपलब्ध है।

अध्याय-I वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह 31 मार्च 2017 को हिमाचल प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा करता है। यह प्राप्तियों एवं संवितरणों, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण, ऋण स्थायित्व तथा राजकोषीय असंतुलनों का समयावली लेखा उपलब्ध करवाता है।

अध्याय- II विनियोजन लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह विनियोजनों का अनुदानवार विवरण प्रस्तुत करता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, कोषागारों की कार्य प्रणाली में कमियों तथा चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करता है।

अध्याय- III हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं तथा वित्तीय नियमावली की अनुपालना की एक सूची है।

लेखापरीक्षा परिणाम

अध्याय-I

राज्य सरकार के वित्त

बजटीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/तेरहवें वित्त आयोग के अनुसार 2011-12 के दौरान राजस्व घाटा शून्य तक लाया जाना अपेक्षित था और उसके बाद राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण करना था। तथापि राजस्व घाटे को शून्य तक लाने का उद्देश्य 2015-16 तथा 2016-17 में प्राप्त कर लिया गया था। वर्ष 2015-16 में अच्छे निष्पादन के बाद 2016-17 के दौरान सभी तीन घाटा सूचकों जैसे राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा में अवरोही प्रवृत्तियाँ पाई गई।

वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 1,137 करोड़ का राजस्व अधिशेष पूर्व वर्ष की तुलना में घटकर ₹ 920 करोड़ रह गया। यह भी पाया गया कि यद्यपि इस वर्ष केन्द्रीय अन्तरणों में वृद्धि हुई है, तथापि इसके विपरीत राजस्व अधिशेष में कमी हुई है।

राजकोषीय घाटा 2015-16 में ₹ 2,165 करोड़ से ₹ 783 करोड़ बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 2,948 करोड़ हो गया। यह चालू वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.37 *प्रतिशत* था और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम में निश्चित लक्ष्य (3.17 *प्रतिशत*) तथा चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये प्रक्षेपणों (अर्थात 3 *प्रतिशत*) के अन्तर्गत था। वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान क्रमश: ₹ 990 करोड़ तथा ₹ 411 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष पाया गया।

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 26,264 करोड़) पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 2,824 करोड़ (12 *प्रतिशत*) बढ़ गईं। मात्र 33 *प्रतिशत* प्राप्तियाँ राज्य के स्वं संसाधनों से आई जिसमें कर एवं गैर-कर सम्मिलित थे, जबकि राजस्व प्राप्तियों का बड़ा भाग (67 *प्रतिशत*) केन्द्रीय अन्तरणों से युक्त है (अर्थात् सहायता अनुदान (50 *प्रतिशत*) तथा केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश (17 *प्रतिशत*))।

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य का कुल व्यय (₹ 32,133 करोड़) विगत वर्ष की तुलना में ₹ 6,503 करोड़ (25 *प्रतिशत*) बढ़ गया। राजस्व व्यय 2015-16 में ₹ 22,303 करोड़ से ₹ 3,041 करोड़ (14 *प्रतिशत*) बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 25,344 करोड़ हो गया तथा कुल व्यय में इसका हिस्सा 79 *प्रतिशत* रहा। योजना राजस्व व्यय (₹ 4,520 करोड़) विगत वर्ष (₹ 3,493 करोड़) की तुलना में ₹ 1,027 करोड़ (29 *प्रतिशत*) तक बढ़ गया और विगत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय के 13 से 18 *प्रतिशत* से युक्त था। तथापि गैर योजना राजस्व व्यय 2012-17 के दौरान राजस्व व्यय के 82-87 *प्रतिशत* से युक्त था। वेतन, ब्याज भुगतानों, पेंशन तथा सब्सिडी पर व्यय में 2012-17 की अवधि के दौरान निरन्तर वृद्धि देखी गयी जो कि 2012-13 में ₹ 12,939 करोड़ से 2016-17 में ₹ 17,919 करोड़ हो गया और राजस्व व्यय की औसत 76 *प्रतिशत* से युक्त है। कुल व्यय के प्रति पूँजीगत व्यय का हिस्सा 2015-16 में 11.2 *प्रतिशत* से घटकर 2016-17 में 10.9 *प्रतिशत* रह गया।

वर्ष 2014-15 से निधियों को राज्य बजट के माध्यम से जारी करने के केन्द्र सरकार के निर्णय के बावजूद ₹ 457.18 करोड़ की बड़ी निधियाँ 2016-17 के दौरान भारत सरकार द्वारा अब भी सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अन्तरित की जा रही थी। इन निधियों से व्यय की निगरानी करने के लिए राज्य में कोई भी अभिकरण नहीं है और इसका निर्धारण करने के लिए कोई भी डाटा तत्काल उपलब्ध नहीं है कि इन कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा एक विशेष वर्ष में कितनी धनराशि वास्तविक रूप से व्यय की गई है।

वर्ष 2016-17 के अन्त पर 12 अपूर्ण परियोजनाओं में ₹ 187.62 करोड़ राशि की निधियाँ अवरूद्ध थी।

चालू वर्ष के अन्त पर राजकोषीय देयताएं विगत वर्ष की तुलना में 15 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ ₹ 47,244 करोड़ (इसमें उदय स्कीम के अंतर्गत ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित है) थीं जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 38 *प्रतिशत* तथा राजस्व प्राप्तियों के 180 *प्रतिशत* पर अवस्थित थी। कुल लोक ऋण में बाजार उधारों का भाग 2012-13 में 57 *प्रतिशत* से बढ़कर 2016-17 में 59 *प्रतिशत* हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान 36 *प्रतिशत* उधारों का उपयोग पुराने ऋणों के भुगतान के लिए किया गया था जिससे इन उधारों का मुख्य उद्देश्य विफल रहा।

अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

वर्ष 2016-17 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत दर्ज ₹ 32.29 करोड़ का समग्र आधिक्य ₹ 3,005.32 करोड़ की बचत द्वारा प्रतिसंतुलित ₹ 3,037.61 करोड़ के आधिक्य का निवल परिणाम था। वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक की अवधि से सम्बन्धित ₹ 9,402.18 करोड़ के व्यय आधिक्य का राज्य विधान मंडल के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमन अपेक्षित है।

14 उपशीर्षों में ₹ 2,113.09 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि या तो व्यय मूल प्रावधान तक नहीं पहुँच पाया या फिर सकल असम्बद्ध अधिक व्यय हुआ और 27 उपशीर्षों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) में निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन किया गया जिसके परिणामस्वरूप आधिक्य/बचत हुई। 58 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) में वित्त वर्ष के अन्त में ₹ 2,863 करोड़ अभ्यर्पित किए गए थे। 62 मामलों/उपशीर्षों में ₹ 379.63 करोड़ की राशि का शत् प्रतिशत अनुदान अभ्यर्पित किया गया।

नौ मामलों में वर्ष की अंतिम तिमाही का व्यय 54 से 91 *प्रतिशत* के बीच था और इन लेखाशीर्षों के अन्तर्गत मात्र मार्च 2017 के महीने में किया गया व्यय कुल व्यय का 51 से 79 *प्रतिशत* था।

अध्याय-III

वित्तीय रिपोर्टिंग

31 मार्च 2017 तक ₹ 2,910.67 करोड़ की राशि के ऋणों एवं अनुदानों के सम्बंध में 2,587 प्रयुक्ति प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ।

दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि के ₹ 78.10 लाख की सरकारी धन राशि से अन्तर्ग्रस्त 45 मामले थे जिन पर जून 2017 तक अंतिम कार्रवाई लम्बित थी। इनमें से 40 मामले पांच वर्ष से पुराने थे।

सरकार ने विभिन्न विभागों में विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों की अनुपालना नहीं की क्योंकि राज्य विभागों में कुल ₹ 23.19 करोड़ राशि के अस्थाई अग्रिम के 76 मामले समायोजन हेतु लम्बित थे।